



षोडश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-13.02.2019 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|----------|--------------|------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- श्री ललित कुमार यादव,
स०वि०स०
श्री राम विचार राय,
स०वि०स०
श्री भाई वीरेन्द्र,
स०वि०स०

"कामेश्वरी प्रिया पूअर होम, दरभंगा निबंधन काल 1942 से नेत्र रोगियों, दृष्टिहीनों के सहायतार्थ कार्य करती आ रही है, जिसमें 1968 एवं 1977 में संशोधनोपरान्त एलोपैथी / दन्त चिकित्सालय, विद्यालय आदि खोले गए। प्रबंधन द्वारा बिहार सरकार को लीज पर दिये गये मूक बधिर एवं अंध विद्यालय आज भी कल्याण विभाग के अधीन संचालित है। प्रतिवर्ष कराये गए Audit Report निबंधन विभाग को भेजा जाता रहा है।

मद्य निषेध,
उत्पाद एवं
निबंधन /
समाज कल्याण

वर्ष 2013 में राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा पूअर होम के खाली क्षेत्रों के विकास हेतु कमिटी के गठन का आदेश दिया गया जिसे मा० उच्च न्यायालय ने खारिज करते हुए प्रमंडलायुक्त, दरभंगा को मार्च 2017 तक जाँच कर सुधारात्मक कदम उठाने का आदेश दिया। प्रमंडलायुक्त की अनुशंसा के आलोक में सरकार द्वारा दिनांक-30.01.2018 को संस्था का निबंधन ही रद्द कर दिया गया, जिसके कारण कर्मियों का वेतन, बीमा, भविष्य निधि की कटौती बंद है। जिलाधिकारी, दरभंगा द्वारा संस्था के राशि की निकासी पर रोक लगा दी गई, जिससे संस्था का सारा निःशुल्क कल्याणकारी कार्यक्रम टप है एवं संस्था बंद होने के कगार पर है।

अतएव उक्त संस्था का शीघ्र निबंधन प्रदान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|----------|--------------|------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

2. श्री चन्दन कुमार,
स०वि०स०

“ग्राम रक्षा दल के लोगों को खगड़िया सहित पंचायती राज राज्य के अन्य जिलों में रात्रि प्रहरी में लगाया जाता है। विशेषकर संध्या प्रहरी, रात्रि गश्ती, शराब बंदी, जुआ बंदी, त्योहारों एवं आपदा आदि के कार्यों में समय-समय पर इनसे सेवा लिया जाता है। खगड़िया जिला में पुलिस अधीक्षक, थाना को इस संबंध में पत्र जारी कर निर्देश भी देते रहे हैं। इन्हें समुचित हक मिलना चाहिए।

अतः इनके स्थायीकरण, मानदेय, ग्रामीण पुलिस बहाली में प्राथमिकता, जीवन सुरक्षा बीमा एवं जिले में सूचीबद्ध कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।”

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-02/19-

२०५

/ वि०स०, पटना, दिनांक-१२ फरवरी, 2019 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग / समाज कल्याण विभाग तथा पंचायती राज विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१२/२/१९
(पांडव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-02/19-

२०५

/ वि०स०, पटना, दिनांक-१२ फरवरी, 2019 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

१२/२/१९
(पांडव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।